



सत्यमेव जयते

# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



### भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश / व्यावसायिक प्रचालन / 2026 नीति परिपत्र सं. 17.5.96/ 2026 दिनांक 13<sup>th</sup> मार्च, 2026

{(ई-ऑफिस फाइल सं. IHMCL-11011(12)/1/2026-IHMCL (कम्प्युटर सं. 309437) पर लिया गया निर्णय)}

### NHAI/ Policy Guidelines/ Commercial Operation /2026 Policy Circular No.17.5.96/2026 dated 13<sup>th</sup> March, 2026

{(Decision taken on E-Office File No. IHMCL- 11011(12)/1/2026- IHMCL (Comp No. 309437)}

**विषय:** राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर बहु-लेन मुक्त प्रवाह (एमएलएफएफ) टोलिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय इकाइयों (आरओ/पीआईयू) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के संबंध में।

**Sub:** Standard Operating Procedure (SOP) for Field Units (RO/PIU) for implementation of Multi-Lane Free Flow (MLFF) Tolling Systems across National Highways (NH)- Reg.

भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर निर्बाध, बाधा रहित और प्रौद्योगिकी आधारित प्रयोक्ता शुल्क संग्रह के दृष्टिकोण के अनुरूप, बहु-लेन मुक्त प्रवाह (एमएलएफएफ) को देश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। पारंपरिक टोल प्रणाली के विपरीत, एमएलएफएफ गैन्ट्री पर लगे उच्च प्रदर्शन वाले उपकरणों के माध्यम से उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) पर निर्भर करता है। इस बाधा रहित परिवेश का उद्देश्य रसद दक्षता बढ़ाना, ईंधन की खपत कम करना और यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है।

In pursuance of the Government of India's vision for Seamless, Barrier-less and Technology-driven user fee collection across the National Highway network, Multi-Lane Free Flow (MLFF) is being implemented in a phased manner across the Country. Unlike conventional tolling, MLFF relies on high-speed Electronic Toll Collection (ETC) via high performance equipment mounted on Gantry. This Barrier-free environment aims to enhance logistical efficiency, reduce fuel consumption and ensure the unhindered movement of traffic.

2. एमएलएफएफ टोलिंग अवसंरचना की तैनाती से संरचनात्मक अखंडता, परिचालन सुरक्षा, अंतर-एजेंसी समन्वय और सरकारी राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तदनुसार, उन सभी परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) द्वारा निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाएगा जहां एमएलएफएफ टोलिंग लागू की जा रही है:

The deployment of MLFF tolling infrastructure entails heightened responsibility upon field units for ensuring Structural Integrity, Operational Safety, Inter-Agency coordination and Protection of Government revenue. Accordingly, the following Standard Operating Procedure (SOP) shall be followed by all Project Implementation Units (PIUs) where MLFF Tolling is being implemented:

Contd....2/-

**क. परियोजना प्रबंधन:**

**A. Project Administration:**

(i) परियोजना निदेशक (पीडी) अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक वित्त पोषित टोल प्लाजा पर कार्यान्वित एमएलएफएफ टोलिंग परियोजनाओं के अनुबंध समझौतों का प्रबंधन करेंगे। एमएलएफएफ परियोजना राजस्व संवेदनशील परियोजना होने के कारण, यूएफसीए अनुबंधों की तरह ही पीआईआई द्वारा इसकी बारीकी से निगरानी की जाएगी।

The Project Director (PD) shall administer the Contract Agreement of the MLFF Tolling Projects implemented on the Public Funded Toll Plazas under their jurisdiction. The MLFF Project being a revenue sensitive Project shall be monitored closely like the UFCA Contracts being monitored by PIUs.

(ii) पीडी प्रत्येक एमएलएफएफ टोल प्लाजा के लिए पीआईयू के एक नोडल अधिकारी को नामित करेगा जो परिचालन संबंधी चुनौतियों के दिन-प्रतिदिन के निवारण, साइट संबंधी बाधाओं को दूर करने, कार्यान्वयन में आवश्यक, समयानुसार अनुमोदन प्राप्त करने और एमएलएफएफ कार्यान्वयन की समग्र सुगमता प्रदत्त करने के लिए जिम्मेदार होगा।

The PD shall designate a Nodal Officer of PIU for each MLFF Toll Plaza who shall be responsible for day-to-day mitigation of operational challenges, removal of site constraints, timely approvals required in implementation, and overall facilitation of MLFF implementation.

(iii) पी.आई.यू. एम.एल.एफ.एफ. पोर्टल और टीएमसीसी के माध्यम से टोल संग्रह और यातायात की निगरानी करेगा और किसी भी अनियमितता की रिपोर्ट आई.एच.एम.सी.एल./सी.ओ. डिवीजन को देगा।

The PIU shall monitor the toll collection & traffic through MLFF Portal and TMCC and report any aberration to IHMCL/CO Division.

**ख. ई-नोटिस संबंधी शिकायतों का प्रबंधन:**

**B. Grievance Management for e-Notice:**

परियोजना निदेशक (पीडी) मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों/राजपत्र अधिसूचना के अनुसार ई-नोटिस संबंधी शिकायतों के समय पर निपटान के लिए जिम्मेदार होंगे।

The Project Director (PD) shall be responsible for timely disposal of e-Notice related grievances as per the directions/Gazette Notification issued by the Ministry.

**ग. एमएलएफएफ गैन्ट्री की स्पष्ट ऊंचाई:**

**C. Clear Height of MLFF Gantry:**

एमएलएफएफ गैन्ट्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पीआईयू को निम्नलिखित सुनिश्चित करना होगा:

To ensure the safety of MLFF Gantries PIUs must ensure the following:

Contd....3/-



- (i) **ऊर्ध्वाधर निर्गम:** साइट पर, पीआईयू यह सुनिश्चित करेंगे कि एमएलएफएफ गैन्ट्री आईआरसी दिशानिर्देशों (न्यूनतम 5.5 मीटर) के अनुरूप स्थापित की गई हों और कम से कम 6.0 मीटर की स्पष्ट ऊंचाई बनाए रखें ताकि एमएलएफएफ टोलिंग उपकरण की सुरक्षा के लिए पर्याप्त निकासी हो।  
**Vertical Clearance:** At site, PIUs shall ensure that MLFF gantries are installed in conformity with IRC guidelines (Min 5.5m) maintaining clear height of atleast 6.0 meters so that sufficient clearance is there for safety of MLFF Tolling equipment.
- (ii) **अग्रिम संकेत:** पीआईयू सड़क उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त समय पर चेतावनी देने के लिए उचित अंतराल पर "गैन्ट्री क्लियर हाइट" संकेतक निर्दिष्ट करने वाले अग्रिम चेतावनी संकेत स्थापित करेंगे। जैसे कि 1 किमी, 500 मीटर, 250 मीटर के अंतराल पर और एमएलएफएफ गैन्ट्री पर "ओवरहेड गैन्ट्री अहेड" संकेत।  
**Advance Signage:** PIUs shall install advance warning signs specifying "Gantry Clear Height" indicators at appropriate intervals to warn the road users well in advance. Such as "Overhead Gantry Ahead" signs at 1km, 500m, 250m intervals and also on the MLFF Gantry.
- (iii) **अतिरिक्त आकार/वजन वाले माल (ओडीसी) ले जाने वाले वाहनों का नियमन:** पीआईयू यह सुनिश्चित करेगा कि ओडीसी/ओडबल्यूसी वाहनों की आवाजाही मंत्रालय के पत्र संख्या आरडबल्यू/एनएच-35072/01/2010- एसएंडआर(बी) पीटी-2 दिनांक 27.10.2025 के निर्देशों के अनुसार ही हो। सड़क की सतह से 4.75 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले ओडीसी/ओडबल्यूसी को उन मार्गों पर चलने की अनुमति नहीं होगी जहाँ एमएलएफएफ गैन्ट्री लगी हुई हैं। ओडीसी/ओडबल्यूसी ले जाने वाले सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से एक पायलट वाहन द्वारा निर्देशित किया जाएगा। ऐसे वाहनों का नियमन पीआईयू द्वारा उनकी संबंधित अनुरक्षण एजेंसियों और रूट पेट्रोल वाहनों (आरपीवी) के माध्यम से किया जाएगा। एमएलएफएफ अवसंरचना को कोई भी क्षति राजस्व के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है और इससे सरकारी खजाने को सीधा वित्तीय नुकसान होता है।  
**Regulation of Vehicles with Over-Dimensional Consignment (ODC) / Over-Weight Consignment (OWC):** The PIU shall ensure that the movement of ODC / OWC vehicles shall be strictly in terms with Ministry's direction given vide letter No RW/NH-35072/01/2010- S&R (B) PT-2 dated 27.10.2025. The ODC / OWC having height more than 4.75m from road surface shall not be allowed on the stretches with MLFF Gantries in place. All vehicles carrying ODC/OWC shall be invariable guided by a Pilot Vehicle. Such vehicles shall be regulated by PIUs through their respective Maintenance Agencies and Route Patrol Vehicles (RPV). Any damage to the MLFF infrastructure is a revenue-critical matter and results in direct financial loss to the exchequer.

घ. एमएलएफएफ टोलिंग ज़ोन में पार्किंग और अतिक्रमण निषेध:

**D. No Parking & Encroachment at MLFF Tolling Zone:**

पीआईयू यह सुनिश्चित करेगा कि एमएलएफएफ टोलिंग ज़ोन के दोनों ओर 200 मीटर के दायरे में पार्किंग या अतिक्रमण न हो। इस ज़ोन में अतिक्रमण, अनाधिकृत विक्रेता, अस्थायी संरचनाएं, खड़ी गाड़ियां या निर्माण सामग्री को तुरंत हटाया जाना चाहिए। यह एमएलएफएफ टोलिंग ज़ोन की परिचालन दक्षता और समग्र सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

Contd....4/-

The PIU shall strictly ensure that there is no parking or encroachment within 200m on either side MLFF Tolling Zone. Encroachments, Unauthorized Vendors, Temporary Structures, parked vehicles or construction materials within this zone should be removed promptly. This is important for operational efficiency and overall safety of the MLFF Tolling Zone.

**ड. एमएलएफएफ टोलिंग ज़ोन का सड़क सुरक्षा ऑडिट और प्रदीपन:**

**E. Road Safety Audit and Illumination of MLFF Tolling Zone:**

- (i) एमएलएफएफ टोलिंग ज़ोन अब मौजूदा बैरियर आधारित टोलिंग प्रणाली की तरह रुक-रुक कर चलने वाली टोलिंग प्रणाली नहीं है। एमएलएफएफ के लागू होने से, परिचालन गति बढ़ने और बैरियर हटने के कारण लेन थ्रूपुट में वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए, निर्धारित राजमार्ग गति पर चलने वाले वाहनों के सुरक्षित संचालन के लिए पर्याप्त सड़क सुरक्षा उपाय लागू करना आवश्यक है। पीआईयू एमएलएफएफ टोलिंग ज़ोन का सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट करवाएंगे और एमएलएफएफ टोलिंग ज़ोन पर पर्याप्त साइनेज, मार्किंग और रोड स्टड का उपयोग सुनिश्चित करेंगे। सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षक, जहां भी लागू हो, मीडियन कट को बंद करने का निर्णय भी लेंगे।

The MLFF Tolling zone is no more a stop and go tolling scheme like the existing barrier based Tolling. With the implementation of MLFF, lane throughput is likely to increase due to higher operating speeds and elimination of barriers. As such adequate road safety measures are required to be deployed for safe manoeuvre of vehicle plying at designated highway speed. The PIUs shall get the MLFF Tolling Zone audited by Road Safety Auditor and ensure adequate signages, marking and use road studs on the MLFF Tolling Zone. The Road Safety Auditor shall also decide the closure of median cut wherever applicable.

- (ii) ऑडिट में एप्रोच ज्योमेट्रिक्स, लेन मार्किंग, रेट्रो-रिफ्लेक्टिव साइनेज, क्रैश बैरियर, डिलीनिएटर, रंबल स्ट्रिप्स, स्पीड कम करने के उपाय (जहां आवश्यक हो), मीडियन ओपनिंग और दृश्यता की पर्याप्तता की विशेष रूप से जांच की जाएगी। टोल प्लाजा लेन की संख्या में कमी होने की स्थिति में, उचित टेपर लेंथ, चैनलिंग डिवाइस (एमबीसीबी, एनजेबी आदि), रिफ्लेक्टिव बैरिकेडिंग, फ्लैशिंग बीकन और एडवांस डायवर्जन साइनेज आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

The Audit shall specifically examine adequacy of Approach Geometrics, Lane Markings, Retro-reflective Signage, Crash Barriers, delineators, rumble strips, speed calming measures (where warranted), median openings, and visibility conditions. In case where there is reduction in number of toll plaza lanes, there shall be proper taper lengths, channelizing devices (MBCB, NJB etc), reflective barricading, flashing beacons and advance diversion signage, etc.

- (iii) मौजूदा टोल प्लाजा अवसंरचना (बुल नोज आदि) को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाएगा, पर्याप्त रूप से प्रकाशित किया जाएगा (अधिमानत: लाल एलईडी प्रकाश व्यवस्था के साथ), और टक्कर की स्थिति में क्षति को कम करने के लिए उपयुक्त यातायात अवरोधकों से सुरक्षित किया जाएगा।

The existing Toll plaza infrastructure (bull nose etc) shall be clearly delineated, adequately illuminated (preferably with red LED lighting) and protected with suitable traffic attenuators to minimize impact damage in case of collision.



- (iv) पी.आई.यू. उच्च-स्तंभ प्रकाश व्यवस्था द्वारा एम.एल.एफ. जोन में पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करेंगे। यह न केवल रात्रिकालीन सड़क सुरक्षा के लिए बल्कि एम.एल.एफ. उपकरणों की बेहतर कार्यक्षमता के लिए भी महत्वपूर्ण है।

PIUs shall ensure adequate illumination at the MLFF Zone with High-mast lighting. This is important not only for night time road safety but also for better efficiency of MLFF Equipment.

- (v) आवश्यक सड़क सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था संबंधी कार्य पी.डी./आर.ओ. द्वारा एनएचएआई नीति परिपत्र संख्या 12.43/2025 दिनांक 10.12.2025 (अल्पकालिक उपायों के माध्यम से दुर्घटना स्थलों के सुधार के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन) में निर्धारित प्रत्यायोजित शक्तियों और प्रक्रिया के अनुसार किए जा सकते हैं।

The required road safety and illumination works may be carried out by PD/ROs as per the delegated power and procedure laid down vide NHAI Policy Circular No 12.43/2025 dated 10.12.2025 (Amendment to delegation of powers for rectification of Accident Spots through short term measures).

#### च. राँ पावर की आपूर्ति:

##### F. Provision of Raw Power:

पीआईयू सार्वजनिक वित्त पोषित टोल प्लाजा पर एमएलएफएफ टोलिंग निष्पादन बैंक को राँ पावर की आपूर्ति करेगा। इलेक्ट्रिसिटी की आवृत्ति लागत बैंक द्वारा वहन की जाएगी।

PIU shall provide the raw power to the MLFF Tolling executing Bank at public funded Toll Plazas. The recurring cost towards the electricity shall be borne by the Bank.

#### छ. आरटीओ और जिला प्रशासन के साथ समन्वय:

##### G. Coordination with RTO and District Administration:

पीआईयू, एमएलएफएफ टोलिंग जोन से गुजरने वाले वाहनों के यातायात नियमों को लागू करने के लिए जिला प्रशासन और आरटीओ के साथ नियमित रूप से समन्वय करेगा। नंबर प्लेट से छेड़छाड़, कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं आदि की सूचना, संबंधित अधिकारियों को तुरंत दी जाएगी ताकि प्रवर्तन और आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके।

PIU shall regularly coordinate with District Administration and RTO for traffic enforcement of Vehicles crossing the MLFF Tolling Zone. Incidents of number plate tampering, law and order issues etc shall be promptly informed to the concerned authorities for enforcement and necessary administrative action.

#### ज. यातायात अनुशासन:

##### H. Traffic Discipline:

मार्ग गश्ती वाहन (आरपीवी) को सतर्कतापूर्वक किसी भी "गलत दिशा" से चलने वाले वाहन को रोकना चाहिए, विशेष रूप से टोल गेट के आसपास, ताकि डेटा में गड़बड़ी और आमने-सामने की टक्करों को रोका जा सके। टोल से बचने के प्रयास में टोल गेट के पास जानबूझकर अवरोध उत्पन्न करने की सूचना, आवश्यक कार्रवाई के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को दी जानी चाहिए।

Contd....6/-

The Route Patrol Vehicle (RPV) must vigilantly disallow any "wrong-side" vehicle movement, particularly in the vicinity of the Gantry to prevent data corruption and head-on collisions. Deliberate obstruction near Gantries in attempts to evade toll shall be reported to local Law Enforcement Authorities for necessary action.

**झ. जन जागरूकता:**

**I. Public Awareness:**

पीआईयू, आईएचएमसीएल और स्थानीय प्रशासन के समन्वय से जन जागरूकता उपायों को भी सुनिश्चित करेगा, जिसमें सूचना बोर्डों का प्रदर्शन और मीडिया/सोशल मीडिया अभियानों और अन्य गतिविधियों के माध्यम से राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को एमएलएफएफ संचालन, ई-नोटिस, प्रवर्तन प्रावधानों और सुरक्षा मानदंडों के संबंध में परामर्श का प्रसार शामिल है।

The PIU shall also ensure public awareness measures in coordination with IHMCL and local administration, including display of informational boards and dissemination of advisories to Highway users regarding MLFF operations, e-Notice, enforcement provisions and safety norms through media/social media campaigns and other activities.

**ज. गो-लाइव से पूर्व संचालन:**

**J. Operations Prior to Go-Live:**

पीआईयू सभी हितधारकों, जैसे कि आईएचएमसीएल, अनुरक्षण/ईपीसी/एचएएम ठेकेदार, आईई/ईई, यूएफसीए के बीच समन्वय स्थापित करेगा और मौजूदा पारंपरिक टोलिंग से सुचारु रूप से माइग्रेशन और एमएलएफएफ टोलिंग के सफल संचालन को सुनिश्चित करेगा।


The PIU shall coordinate between all the stakeholders viz- IHMCL, Maintenance/EPC/HAM Contractor, IE/AE, UFCA and to ensure smooth migration from existing conventional tolling and successful operations of MLFF Tolling.

3. यद्यपि यह मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क (एमएलएफ) के मानकीकृत कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है, फिर भी राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में भौगोलिक और यातायात संबंधी विविध चुनौतियां अंतर्निहित हैं। अतः, क्षेत्रीय अधिकारियों (आरओ) और परियोजना निदेशकों (पीडी) को सड़क सुरक्षा में सुधार, प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने, यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और टोल राजस्व की रक्षा के लिए, यहां निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यकताओं से परे, अपने पेशेवर विवेक के आधार पर उन्नत सुरक्षा उपायों या बेहतर परिचालन प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

While this SOP provides a comprehensive framework for the standardized implementation of MLFF, there are diverse geographical and traffic-related challenges inherent across the National Highway network. Thus, Regional Officers (ROs) and Project Directors (PDs) are encouraged to implement enhanced safety measures or better operational protocols based on their professional judgment beyond the minimum requirements specified herein for betterment of road safety, enhancement of system reliability, improvement of the commuter experience and protection of toll revenue.

Contd....7/-

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।  
This issues with the approval of the Competent Authority.

  
13/03/2026

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)  
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।  
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।  
Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।  
Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।  
PPS to Secretary, MoRTH for Kind Information.